

## स्वच्छ नोट नीति

### भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति

भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार बैंक की निम्नलिखित नामोद्दिष्ट शाखाएं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुराने/कटे-फटे नोटों को बदलने, अशोक स्तंभ सीरीज के नोटों को बदलने और ग्राहकों को सिक्कों का वितरण करने हेतु चयनित रविवार को खुली रहती हैं:

क्रम सं.	केन्द्र	शाखा का नाम और पता	चयनित रविवार
1	बरेली	बरेली सिविल लाइन्स	तीसरा
2	कटक	कटक मुख्य, नई सड़क	दूसरा
3	आगरा	न्यू आगरा, सी-248, गिरीश काम्पलेक्स, कमला नगर	दूसरा
4	इलाहाबाद	इलाहाबाद सिविल लाइन्स- 22 पुरुषोत्तम दास टंडन मार्ग	चौथा
5	बारासात	बारासात-39 के.बी.बसु रोड	तीसरा
6	बरहमपुर	कासिम बाजार- 48 बाबुल बोना रोड	तीसरा
7	भोपाल	भोपाल भेल- भेल टाउन क्वार्टर नं. 118, टाइप III, बी सेक्टर, पिपलानी भेल	दूसरा
8	बिलासपुर	बिलासपुर- निरंजन पैलेस, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, बस स्टैंड रोड	चौथा
9	वर्धमान	वर्धमान- मनोरमा सदन, 73/पी, बी.सी.रोड, दत्ता सेंटर	सभी
10	चंडीगढ़	चंडीगढ़ सेक्टर 17-बी, बैंक स्क्वायर	चौथा
11	चेन्नई	चेन्नई अडयार-9 लाटरी ब्रिज रोड	तीसरा
12	चिनसुरा	पिपुलपती, सेनको बिल्डिंग, बाली मोड़	चौथा
13	गाजियाबाद	गाजियाबाद-राइटगंज	दूसरा
14	गोण्डा	गोण्डा-बहराइच रोड, बस स्टैंड के पास	सभी
15	गुवाहाटी	गुवाहाटी-मछकौवा, एसटीसी बस स्टैंड के सामने हेम बरुआ रोड	चौथा
16	हैदराबाद	हैदराबाद-5-1-680, टी.के. हाउस बैंक स्ट्रीट	तीसरा
17	जबलपुर	जबलपुर राइट टाउन- 868 झा मार्ग	तीसरा

18	जयपुर	जयपुर, किशन पोल-274 किशनपोल बाजार	पहला
19	कानपुर	कानपुर-एम.जी. मार्ग	चौथा
20	कोलकाता	कोलकाता अंतरराष्ट्रीय शाखा-व्हाइट हाउस, 119 पार्क स्ट्रीट	चौथा
21	कोलकाता	अलीपुर-1ए, रोनाल्डशे रोड	चौथा
22	कोलकाता	रानीकुटी-54, एन.एस.सी. बोस रोड	चौथा
23	लखनऊ	उजरियावां शाखा, 1/5, विवेक खंड, लखनऊ	चौथा
24	मुम्बई	पेडर रोड-18, डा. गोपाल राव देशमुख मार्ग	दूसरा
25	मुजफ्फरपुर	जवाहरलाल रोड शाखा, तिलक मैदान रोड	चौथा
26	नागपुर	सिविल लाइन्स-पाम रोड	चौथा
27	नई दिल्ली	चित्तरंजन पार्क-5, सी.आर. पार्क	चौथा
28	नई दिल्ली	संसद मार्ग-17 संसद मार्ग	चौथा
29	पटना	पटना-बुद्ध मार्ग	तीसरा
30	वाराणसी	यू.पी. कालेज-महाबीर रोड, अर्दली बाजार	तीसरा
31	रांची	सर्कुलर रोड शाखा, 60 सर्कुलर रोड, केपी दत्ता कम्पाउंड, रांची	तीसरा

उपर्युक्त सुविधाएं हमारे ग्राहकों को सभी शाखाओं में सभी कार्यदिवसों में बैंकिंग कार्यसमय के दौरान भी उपलब्ध हैं।

- ग्राहकों से अनुरोध है कि वे बैंक के काउंटर पर केवल अनस्टैपल्ड नोट ही जमा करें।
- नोट अनस्टैपल्ड होने पर ही बैंक ग्राहक को स्वच्छ नोट जारी करेगा। ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे काउंटर छोड़ने से पूर्व नोटों का सत्यापन और गणना कर लें और उसके बाद उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।